हेल्थकेयर वित्तीय सहायता नीति की सादी भाषा में सारांश

वित्तीय सहायता की उपलब्धता

सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के बाद और सभी उपलब्ध सहायता कार्यक्रमों का आकलन करने के बाद रोगी या उसके/की गारंटर की भुगतान करने की क्षमता से वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित होता है। आपातकाल के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है और उन बीमारहित और कम बीमायुक्त रोगियों को अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध है जो इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी द्वारा सेवा दिए जाने वाले समुदाय में रहते हैं और जिनके परिवार की आय फेडरल पॉवर्टी गाइडलाइन्स (FPG) के दुगुने से अधिक नहीं है।

पात्रता की शर्तें

वित्तीय सहायता आम तौर पर FPG के आधार पर कुल घरेलू आय से निर्धारित होता है। हमारी नीति के अधीन 200% FPG के स्तर या उससे कम आय वाले व्यक्ति जो वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, मुफ्त देखभाल प्राप्त करते हैं।

HFA नीति के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र कोई व्यक्ति से आपातकालीन या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए, आम तौर पर इस तरह की देखभाल के लिए बीमा कवर वाले व्यक्तियों को भेजा गया बिल की राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त बीमा कवरेज या देखभाल का भुगतान करने के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है, उसे वित्तीय सहायता के लिए अयोग्य माना जा सकता है। पूरा विवरण के लिए कृपया संपूर्ण HFA पॉलिसी को देखें।

आवेदन प्रक्रिया के बारे में

हमारे HFA नीति के अधीन वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में ये सब चरण शामिल हैं:

- HFA आवेदन पत्र को पूरा करें और आवश्यक सहायक दस्तावेजों को शामिल करें।
    - हम आप के लिए उपलब्ध सहायता के स्तर को निर्धारित करने के लिए आपकी आय और परिवार के आकार को देखते हैं।
    - हमारी शर्त यह है कि पहले आप अपनी देखभाल को कवर करने वाले बीमा लाभ के कुछ प्रकार के लिए पात्रता का पता लगाएं (यानी कामगार क्षतिपूर्ति, वाहन बीमा, आदि)। हम उचित संसाधनों की दिशा में आपको निर्देशित कर सकते हैं।
- आप हमारे HFA नीति के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं यह बताने के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे।
- हमारी HFA नीति के अधीन कवर नहीं किया जा रहा किसी भी अवशेष शुल्क या बिल का भुगतान करने की योजना की व्यवस्था करने में हम आपकी सहायता कर सकते हैं।
    - भुगतान योजना आप प्रबंध करने में सक्षम होने वाले भुगतान स्थापित करने के लिए आपकी वित्तीय स्थिति पर विचार करेगी।

जानकारी कहाँ प्राप्त करें

आप हमारे HFA नीति और HFA आवेदन फार्म, तथा वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: (i) हमारे वेबसाइट www.ioshospital.com/Hospital पर बिलिंग एवं आर्थिक सहायता देखने के द्वारा, (ii) इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी बिलिंग डिपार्टमेंट से 1-567- 940-3263 नंबर पर संपर्क करने के द्वारा, (iii) इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी 801 मेडिकल ड्राइव, सुईट B, लिमा, ओहायो 45804 सेवा में: बिलिंग डिपार्टमेंट, को डाक द्वारा आवेदन भेजकर, या (iv) इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में व्यक्तिगत रूप से हमारी वित्तीय सलाहकारों से संपर्क करने के द्वारा।

हम अंग्रेजी में सीमित दक्षता वाले महत्वपूर्ण आबादी को, जो कि इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं, उन आबादी द्वारा बोली जाने वाली प्राथमिक भाषाओं में हमारे HFA नीति, आवेदन पत्र, और इस सारांश की प्रतियां अनुवाद करके उनके अनुरूप बनाते हैं। हम अनुवाद सहायक या अनुवाद गाइड प्रस्तुत करने, या योग्य दुभाषियों के उपयोग के माध्यम से सहायता प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं।